न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

निगरानी संख्याः 07/2017 **GCMS No. 2017/00161**

अंतर्गत धारा 73 नगर पालिका अधिनियम 2009

1. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन (संचाई), उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

— निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर।
2. सभापति, नगर परिषद, श्रीगंगानगर।
3. मैसर्स जसवन्तसिंह एण्ड संस, डीलर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोडा चौंक के सामने, श्रीगंगानगर।
4. सुरेश कुमार पुत्र रामशरन निवासी 9एच ब्लॉक श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थी

उपस्थितः	अभिभाषक निगरानी कर्त्ता	राजकीय अभिभाषक
	अभिभाषक प्रत्यार्थी संख्या 3	श्री बालकिशन शर्मा
अनुपस्थितः	अभिभाषक प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2	श्री जितेन्द्र श्रीमाली
	अभिभाषक प्रत्यार्थी संख्या 4	श्री दिपेन्द्र सिंह शेखावत

निर्णय

दिनांक 29.10.2025

यह निगरानी नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 300 के अन्तर्गत आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं सभापति, नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी लीज डीड दिनांक 03.10.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा मोघी नंबर 3 वाकेया कोड़ा चौक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर की 418.60 वर्गमीटर भूमि पर मैसर्स जसवन्तसिंह एण्ड संस, डीलर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोडा चौंक, बस स्टैण्ड रोड़, श्रीगंगानगर को दिनांक 03.10.2000 को लीज डीड़ जारी की गई। निगरानीकर्ता ने उक्त लीज डीड दिनांक 03.10.2000 के विरूद्ध निगरानी नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 300 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना संख्या 8226 दिनांक 31.03.10 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 540–784 दिनांक 05.02.1987 को अधिक्रमित करते हुए तत्कालीन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 300 के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की सुनवाई हेतु

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निदेशक एवं शासन उप सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर को अधिकृत किया गया। ततपश्चात उक्त प्रकरण निदेशक एवं शासन उप सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर को अग्रिम सुनवाई हेतु प्रेषित कर दी गई। निदेशक एवं शासन उप सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर उक्त निगरानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के अन्तर्गत पट्टे से संबंधित होने के कारण स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डी.एल.बी/15/5843–6274 दिनांक 10.06.2016 द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 73(2) के अधीन होने के कारण उक्त प्रंकरण न्यायालय आयुक्त बीकानेर को स्थानांतरित किया गया। ततश्चात उक्त निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई में ली गई।

2– अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस कथन किया कि नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा मोघी नंबर 3 वाकेया कोड़ा चौक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर की 418.60 वर्गमीटर भूमि पर मैसर्स जसवन्तसिंह एण्ड संस, डीलर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोडा चौंक, बस स्टैण्ड रोड़, श्रीगंगानगर को दिनांक 03.10.2000 को लीज डीड़ जारी की गई। ए–माईनर छोटी की बुर्जी संख्या 5–7 पर आदर्श सिनेमा के पास, श्रीगंगानगर की पुलिया के उत्तर दिशा की तरफ मण्डी मोघी नंबर 3 स्थापित है, जिसका खाला, जो कोड़ा चौंक से होते हुए जसवंतसिंह पेट्रोल पम्प से होकर शिवालय तक जाता है और इस मोघी की एक शाखा पूर्व की दिशा में दुकानों के आगे चल रही है। मौके पर यह खाला दुकानदारों द्वारा थडे के निर्माण की वजह से ढके हुए है। उक्त आउटलेट की एक शाखा कोडा चौंक से पश्चिम की तरफ से सड़क व जसवंतसिंह पेट्रोल पम्प के नोजल के पास दक्षिण दिशा की तरफ की जगह के अण्डरग्राउण्ड निकलती है। आज भी उसी खाले से शिवालय की कृषि भूमि को नहरी पानी की आपूति जल संसाधन(सिचाई) विभाग द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अधिकारीगण ने किन्ही बाह्य उदेश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने के उदेश्य से विवादित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं। नगर परिषद, श्रीगंगानगर से भी इस बाबत पत्राचार किया गया तो उसके पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि उपरोक्त जगह उनके अधिकार क्षेत्र का भाग हो। नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का दुरूपयोंग करते हुए तथा बिना किसी रिकॉर्ड का अवलोकन किये जल संसाधन विभाग की जगह का पट्टा प्रत्यर्थी संख्या 3 के नाम से गुपचुप कार्यवाही में जारी कर दिया गया, जिसकी बाबत किसी भी प्रकार की कोई सूचना वगैरह समाचार–पत्र में प्रकाशित व प्रसारित नही करवाई गई और ना ही कोई नोटिस अथवा इश्तिहार का प्रकाशन करवाया गया। इसलिए नगर परिषद, श्रीगंगानगर का उक्त लीजडीड दिनांक 03.10.2000 काबिल मनसूखी हैं। अतः निगरानी निगरानीकर्त्ता स्वीकार की जाकर नगर पालिका लीज डीड दिनांक 03.10.2000 को निरस्त फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक प्रत्यार्थी संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निगरानीकर्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1999 पृष्ठ संख्या 390 प्रस्तुत कर बताया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट बताया गया है कि उक्त प्रकरण से संबंधित निगरानी 3 वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी 7 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की हैं जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स जसवन्तसिंह एण्ड संस, डीलर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोडा चौंक, बस स्टैण्ड रोड़, श्रीगंगानगर को दिनांक 03.10.2000 को लीज डीड़ जारी की गई। उक्त लीज डीड स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक F53@30PA/DLB/MLG/300/ 96/1804 दिनांक 21.08.1998 की अनुपालना में जारी की गई है। और उक्त निगरानीकर्ता ने लीज डीड के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है जो एक अनुवर्ती आदेश है, मूल आदेश नही है। अनुवर्ती आदेश की निगरानी नियम विरूद्ध है। निगरानीकर्ता अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन (सिंचाई), उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर एवं राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की ओर से सहायक अभियन्ता जल संसाधन गंगनहर उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर ने निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त निगरानी प्रस्तुतकर्ता सहायक अभियंता जल संसाधन गंगनहर उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 749 दिनांक 16.03.2007 द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 1 को सूचना प्रेषित कर बताया कि जसवन्त सिंह पेट्रोल पैम्प ए. माईनर छोटी की नहरी सीमा मे नहीं है और प्रकरण में जसवंतसिंह पेट्रोल पैम्प का पट्टा निरस्त करवाने की कार्यवाही करने में जल संसाधन विभाग (सिंचाई विभाग) सक्षम नही है तथा क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करते समय शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं। अभिभाषक प्रत्यार्थी संख्या 3 ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1983 पृष्ठ संख्या 592 प्रस्तुत कर बताया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट बताया गया है। कि जो निगरानी बिना शपथपत्र प्रस्तुत की जाती है वह इस न्यायालय में पोषणीय नही है। अतः निगरानी निगरानीकर्त्ता खारिज फरमाई जावे।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांतों एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन तथा मनन किया। अभिभाषक जैर निगरानी ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए निगरानी निगरानीकर्ता को मियाद में शुमार किया जाता है। आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं सभापति, नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स जसवन्तसिंह एण्ड संस, डीलर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोडा चौंक, बस स्टैण्ड रोड़, श्रीगंगानगर को दिनांक 03.10.2000 को लीज डीड़ जारी की गई। उक्त लीज डीड स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक F53/30PA/DLB/MLG/300/96/1804 दिनांक 21.08.1998 की अनुपालना में जारी किया गया है और उक्त निगरानीकर्ता ने लीज डीड के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है जो एक अनुवर्ती आदेश है, मूल आदेश नही है। अनुवर्ती आदेश की निगरानी नियमानुसार प्रस्तुत नही की जा सकती।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निगरानीकर्ता अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन (सिंचाई), उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर एवं राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की ओर से सहायक अभियन्ता जल संसाधन गंगनहर उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर ने निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी के प्रस्तुतकर्ता सहायक अभियंता जल संसाधन गंगनहर उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 749 दिनांक 16.03.2007 द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 1 को सूचना प्रेषित कर बताया कि जसवन्त सिंह पेट्रोल पम्प ए. माईनर छोटी की नहरी सीमा मे नहीं है और प्रकरण में जसवंतसिंह पेट्रोल पम्प का पट्टा निरस्त करवाने की कार्यवाही करने में जल संसाधन विभाग (सिंचाई विभाग) सक्षम नही है अर्थात् क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त प्रकरण में एक ही अधिकारी द्वारा असंगत एवं विरोधाभासी तथ्य प्रस्तुत किए गए है। उक्त निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करते समय शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं, जिसके संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत खीमराज बनाम एम.सी बीकानेर आर.आर.डी 1983 पृष्ठ संख्या 592 में स्पष्ट बताया गया है कि जो निगरानी बिना शपथ पत्र प्रस्तुत की जाती है, वह पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं सभापति, नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी लीज डीड दिनांक 03.10.2000 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर एवं सभापति, नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जारी लीज डीड(पट्टा) दिनांक 03.10.2000 यथावत रखी जाकर निगरानी निगरानीकर्ता तकनीकी रूप से इस आधार पर खारिज की जाती है कि मूल आदेश के बजाय अनुवर्ती आदेश को चुनौती प्रस्तुत की गई हैं।

5– तदानुसार निगरानी निगरानीकर्ता निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति निगरानी पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर